पत्रांकः— 14/स01—09 /1997.

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप संचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक......../......./2021

विषयः— इस्लामिया डिग्री महाविद्यालय, शाहपुर कांटी, मुजफ्फरपुर को स्नातक कला, एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में सत्र 2021—24 से स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक—B/713 दिनांक 27.05.2020 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा—21 (2) (d) एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम संख्या—1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक—14.12.2017 एवं पत्रांक—3074 दिनांक—25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने इस्लामिया डिग्री महाविद्यालय, शाहपुर कांटी, मुजफ्फरपुर को स्नातक कला एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में सत्र 2021—24 से स्थायी संबंधन इस निदेश के साथ दी जाती है कि सोसायटी की भूमि महाविद्यालय के नाम से चिन्हित कर ली जाए। अगर भूमि महाविद्यालय के नाम से चिन्हित नहीं की जाएगी तो संबंधन स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

क्र0 सं0	संकाय	विषय
01	कला संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा)	समाजशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, संगीत, प्राचीन भारतीय इतिहस एवं संस्कृति, परसियन, ऊर्दू, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान तथा गणित (कुल 17 विषय)
02	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्टेन्सी, बिजनेस इनवॉरमेन्ट, बिजनेस फाइनान्स एवं कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन (कुल 04 विषय)

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/—
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप संचिव।

ज्ञापांकः—14/स01—09 /1997.—1434 पटना, दिनांक 06/12/2021

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग/सचिव, इस्लामिया डिग्री महाविद्यालय, शाहपुर कांटी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जाय।

सरकार के उप संचिव।

AFfilation letter 2021